



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 402 राँची, बुधवार, 29 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
19 जून, 2024 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

19 जून, 2024

विषय- विभिन्न औद्योगिक नीतियों में GST Incentive से संबंधित प्रावधानों को विलोपित करते हुए GST Reimbursement से संबंधित नये प्रावधानों को अधिसूचित करने के संबंध में ।

संख्या-06/उ०नि०/नियमावली (अनुदान)-13/2017 (खण्ड-1) 730--उद्योग विभाग के संकल्प संख्या-321 दिनांक-16.02.2016 के द्वारा झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 को अधिसूचित किया गया है जो दिनांक-01.04.2016 से दिनांक-31.03.2021 तक प्रभावी रही है। झारखण्ड टेक्सटाईल एवं फूटवेयर नीति-2016 (JTAFP-16) उद्योग विभाग के संकल्प संख्या-3081 दिनांक- 19.09.2016 से दिनांक- 18.09.2023 तक प्रभावी रही है। झारखण्ड ऑटोमोबाईल एवं ऑटोकम्पोनेन्ट नीति-2016 (JAAP-16) उद्योग विभाग के संकल्प संख्या- 3079 दिनांक- 19.09.2016 से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रही है तथा झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 (JIP-12) उद्योग विभाग के संकल्प संख्या-1958 दिनांक- 01.04.2011 से दिनांक- 31.03.2016 तक प्रभावी रही है। झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 (JIIPP-21) दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक प्रभावी रहने के निमित्त उद्योग विभाग के जापांक- 552 दिनांक 09.07.2021 से अधिसूचित किया गया ।

2. विदित हो कि दिनांक 01 जुलाई 2017 से भारतीय कर प्रणाली में वृहत सुधार लाते हुए Goods & Services Tax (GST) प्रणाली को लागू किया गया है। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूर्व की औद्योगिक नीतियों में NET VAT Reimbursement अनुदान के रूप में औद्योगिक इकाइयों को दिया जा रहा था, लेकिन GST कर प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप State GST Reimbursement औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया और इसी क्रम में विभिन्न औद्योगिक नीतियों में NET VAT Reimbursement के स्थान पर SGST Reimbursement की गणना Actual realization in the state treasury के आधार पर किया गया है।
3. उपरोक्त संशोधन के आलोक में Actual realization in the state treasury का गणना किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तथा विभिन्न औद्योगिक नीतियों में जुलाई 2017 से अभी तक SGST का प्रतिपूर्ति/ भुगतान नहीं किया जा सका है तथा इस मद में देनदारी लगातार accumulate होती जा रही है।
4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा WP (T) 3357 of 2023 सर्वश्री अतिवीर इण्डस्ट्रीज कं० लि०, गिरिडीह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 12.09.2023 में पारित न्यायादेश के आलोक में इकाई के पक्ष में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए विस्तारित योजना हेतु अनुमान्य SGST Reimbursement तीन माह के अन्दर किया जाना है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभिन्न औद्योगिक नीतियों अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार JIIPP-2021, JIIPP-2016, JTAFP-2016, JAAP-2016 एवं JIP-2012 में SGST Reimbursement से संबंधित कंडिकाओं को विलोपित करते हुए निम्नवत् यथास्थान नई कंडिकाओं से प्रतिस्थापित करते हुए अधिसूचित किया जाता है-

- i. "Industrial units shall be reimbursed for Net SGST paid by debiting the Electronic cash ledger against the intra-state supply of goods and services by the said Industrial unit after exhausting all the input tax credit available in the credit ledger and after deducting refund amount claimed if any.
Actual realization in the state treasury means the goods or services supplied by the industrial unit and finally consumed within the state and SGST paid thereof realized in the state treasury."
 - ii. SGST reimbursement will be made annually as per respective policy provisions.
 - iii. The above provisions will be effective from 1st July 2017 onwards."
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-29.02.2024 की बैठक में मद् संख्या-15 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश- एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021, झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2016, झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012, झारखण्ड टेक्सटाईल एपेरल एवं फुटवेयर नीति-2016 एवं झारखण्ड ऑटो मोवाईल एवं ऑटो कम्पोनेन्ट पॉलिसी-2016 का अंश होगी, तथा उक्त नीतियों के अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।
